

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2015/श्रावण 21, 1937

No. 499]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2015/SRAVANA 21, 1937

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2015

सा. का. नि. 622(अ).—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नियम, 1975 के नियम 4 व 5 के साथ पठित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) के खण्ड 3 के उप-खण्ड 4(xvi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सामान्य परिषद, 4, सीरी इंस्टिट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016 के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति का नामांकन अधिसूचित करती है-

कृषि सहकारी विकास में विशेष जानकारी अथवा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले खण्ड 3(4)(xvi) के तहत नामांकित

I. श्री एच. एस. मंजरप्पा, दत्तात्रेय मेन रोड,
सोरब-577 429, शिवमोगा जिला कर्नाटक

—सदस्य

[सं. एल-12011/2/2010-आई एंड पी (खण्ड)]

डा. आशीष कुमार भूटानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2015

G.S.R. 622(E).—In exercise of powers conferred by sub-section 4 (xvi) of Section 3 of the National Co-operative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962), read with rules 4 and 5 of the National Co-operative Development Corporation Rule, 1975, the Central Government hereby notifies the nomination of the following person as member of the General Council of National Co-operative Development Corporation, 4, Siri Institutional Area, Hauzkhas, New Delhi-110016, with effect from the date of publication of this notification, namely:-

Nominated under Section 3 (4) (xvi) representing persons having special knowledge of or practical experience in Agricultural Co-operative Development.

1. Shri H.S Manjappa, Dattatreya Main Road,
Sorab-577429, Shivamogga Distt. Karnataka.

—Member

[No. L-12011/2/2010-I&P (Pt.)]

Dr. ASHISH KUMAR BHUTANI, Jt. Secy.